भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्‍चतर शिक्षा विभाग

**राज्‍य सभा**

तारांकित प्रश्‍न संख्‍या: 287

उत्‍तर देने की तारीख: 22.03.2018

**केन्द्रीय शिक्षा संस्थानों में प्रवेश हेतु आरक्षण**

**\*287. श्री राम नाथ ठाकुरः**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्रीय शिक्षा संस्थानों में अन्य पिछड़े वर्गों के प्रवेश हेतु सत्ताईस प्रतिशत आरक्षण कोटे के लक्ष्य को प्राप्त किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार द्वारा निर्धारित किए गए आरक्षण कोटे का सभी राज्यों द्वारा अनुपालन किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्री**

**(श्री प्रकाश जावडेकर)**

(क) से (ग): एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

**\*\*\*\*\***

**“केंद्रीय शिक्षा संस्‍थानों में प्रवेश हेतु आरक्षण’’ के संबंध में माननीय संसद सदस्‍य श्री राम नाथ ठाकुर द्वारा दिनांक 22.03.2018 को पूछे जाने वाले राज्‍य सभा तारांकित प्रश्‍न संख्‍या 287 के भाग (क) से (ग) के उत्‍तर में उल्लिखित विवरण**

(क) से (ग): सरकार केंद्रीय शैक्षिक संस्‍थाओं (सीईआई) में अन्‍य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के दाखिले हेतु 27% आरक्षण कोटा प्रदान करने के लिए पूर्णत वचनबद्ध है। विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने सूचित किया है कि विभिन्‍न केंद्रीय विश्‍वविद्यालयों में छात्रों के दाखिले में समग्र रूप से 26.68 प्रतिशत प्राप्त कर लिया गया है।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्‍थान (आईआईटी) राष्‍ट्रीय महत्‍व की सांविधिक स्‍वायत्‍त संस्‍थाएं हैं, जो प्रौद्योगिकी संस्‍थान अधिनियम, 1961 द्वारा अभिशासित हैं। इन संस्‍थानों में अवर स्‍नातक पाठ्यक्रमों में दाखिला संयुक्‍त प्रवेश परीक्षा (एडवांसड) में उनके रैंक के आधार पर दिया जाता है। ये संस्‍थाएं आईआईटी में छात्रों के दाखिले के लिए केंद्रीय शैक्षिक संस्‍थाएं (दाखिले में आरक्षण) अधिनियम, 2006, यशासंशोधित 2012 का अनुसरण करती हैं जिनमें एससी, एसटी एवं ओबीसी के लिए क्रमश: 15%, 7½% और 27% आरक्षण की व्‍यवस्था है।

सभी 31 राष्‍ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्‍थानों (एनआईटी) ने बताया है कि वे मानव संसाधन विकास मंत्रालय के निर्देशानुसार ओबीसी छात्रों के दाखिले के लिए आरक्षण मानदंडों का 27% की सीमा तक पूर्णत: अनुपालन कर रहे हैं। एनआईटी ने यह भी बताया है कि ओबीसी उम्‍मीदवारों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए केंद्रीय सीट आवंटन बोर्ड (सीएसएबी) द्वारा आरक्षण प्रावधानों का व्‍यापक प्रचार-प्रसार भी किया जाता है।

इसके अतिरिक्‍त, आयोजना और वास्‍तुकला विद्यालय (एसपीए) विजयवाड़ा ने 31.57% तक, एसपीए, भोपाल ने 26.59% और एसपीए, नई दिल्‍ली ने 24.87% ओबीसी छात्रों को दाखिला दिया है।

राज्‍य विश्‍वविद्यालयों के लिए आरक्षण नीति राज्‍य में अवस्थित विभिन्‍न पिछड़े समुदायों को ध्‍यान में रखते हुए निर्धारित की जाती है। बशर्ते कि संविधान की छठी अनुसूची में विनिर्दिष्‍ट जनजातीय क्षेत्रों में स्थित केंद्रीय शैक्षिक संस्‍थाओं में राज्‍य सीटें, यदि कोई हों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्‍य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित ऐसी आरक्षण नीति द्वारा अभिशासित होंगी‍ जिसे उस राज्‍य सरकार, जहां ऐसी संस्‍था स्थित है, द्वारा आधिकारिक रूप से राजपत्र में अधिसूचित किया गया है।

\*\*\*\*\*